न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज सूरा ....बनाम......... अल्ताम मु.नं.– 13/22 किस्म – अपील	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	30-1-25 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 20.3.2002 की प्रमाणित प्रति पेश की। अपील पर अपीलान्ट की बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	4/3/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/3/25 को पेश हो।	
	19/3/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/3/25 को पेश हो।	
	25/3/25 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
13/22	04.10.22	25.03.25

बउनवान

1. घूडा पुत्र रामसहाय, निवासी पाखर, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अपीलान्ट

बनाम

1. अन्तम पुत्र बृजमोहन, निवासी करणबास पाखर, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. अकाश पुत्र बृजमोहन, निवासी करणबास पाखर, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. कमला पत्नी बृजमोहन, निवासी करणबास पाखर, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. कविता पुत्री बृजमोहन, निवासी करणबास पाखर, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. जितेन्द्र पुत्री बृजमोहन, निवासी करणबास पाखर, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. सरिता पुत्री बृजमोहन, निवासी करणबास पाखर, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. हेमलता पुत्री बृजमोहन, निवासी करणबास पाखर, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. ग्राम पंचायत सायपुर पाखर जरिये ग्राम विकास अधिकारी, मण्डावर, दौसा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..रेस्पोडेन्टस

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री रिद्दीचन्द शर्मा।
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण – श्री मुकेश सिंह।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1294 आदेश दिनांक 28.01.22 ग्राम पाखर 2 द्वारा ग्राम पंचायत सायपुर पाखर तत्कालीन तहसील महवा हाल तहसील मण्डावर जिला दौसा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

यह अपील अपीलांट की ओर से जरिये अधिवक्ता दिनांक 28.09.22 को इस आशय की पेश की है कि खसरा सं. 28, 29, 37, 34, 38, 39 वाके मौजा पाखर के सम्बन्ध में अपीलांट ने अपने आपको 1/3 हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर भूमि आराजी खसरा सं. 28 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 29 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा तरफ उत्तर, कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया गया व आदेश जारी किया कि इसी प्रकार खातेबन्दी कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे जिसके पश्चात 12.04.2002 को उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को बरूये डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु एक पत्र प्रेषित किया तथा पत्र के साथ डिक्री की प्रति प्रेषित की गई परन्तु तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं की गई एवम् अपीलांट के पक्ष में उक्त डिक्री का नामान्तकरण नहीं खोला गया जिसके पश्चात दिनांक 24.12.2021 को अपीलान्ट ने

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अधीनस्थ ग्राम पंचायत सायपुर पाखर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व अपील अधिकारी कैम्प अलवर का निर्णय राजीनामा स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल अजमेर की अपील की कॉपी संलग्न प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा सं. 29 की खातेदारी बृजमोहन सैनी पुत्र श्रवणलाल सैनी निवासी पाखर द्वितीय के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो भाई बंटवारे में मेरे हिस्से में आई हुई है जिसमें मुझ प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा चारदीवारी की हुई है तथा कुआ बोरिंग आदि वर्ष 1991 में बनवाकर विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा कोर्ट का फैसला भी हो चुका है। बृजमोहन की मृत्यु दिनांक 06.12.21 को हो चुकी है, इसलिए उक्त विरासत का नामान्तकरण नहीं खोला जाकर अपीलान्ट के हक हकूको का हनन नहीं करे परन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत सायपुर पाखर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न निर्णयों की प्रति को दरकिनार करते हुए व न्यायालय की डिक्री की पालना में न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी अपीलांट के नाम नामान्तकरण न खोला जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत सायपुर पाखर द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 7 के नाम नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं हुई। जुमले रेस्पोडेन्ट दिनांक 01.09.22 को सायंकाल मौके पर आ गये व ऐलानिया कहने लगे कि यह भूमि हमने जयकिशन वगै. को बेचान कर दी है तथा नामान्तकरण भी खुलवा दिया है। इसलिए अब अपीलांट को उक्त भूमि व रिहायश बोरिंग आदि से बेदखल करके रहेगे जिस पर अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय जाकर जांच कर दिनांक 02.09.22 को प्रार्थना पत्र नकल प्रस्तुत किया एवम् दिनांक 06.09.22 को उक्त नामान्तकरण आदेश की नकल प्राप्त हुई जिससे सर्वप्रथम जानकारी से नकल प्राप्ति से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। हालांकि उपरोक्त प्रकार के नामान्तकरण आदेश जो कि न्यायालय की डिक्री के विपरीत भरे जाकर स्वीकार किये गये है, कानूनन शून्य नामान्तकरण है जिनके लिए किसी भी प्रकार की कोई कालावधि नहीं है, फिर भी रफाये हुज्जत दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अपील पेश है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सायपुर पाखर का उक्त नामान्तकरण आदेश जेर अपील नियम, उपनियम एवम कानूनी प्रावधानों तथा विधि, प्रक्रिया व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। नामान्तकरण में दर्ज विवादित भूमि खसरा सं. 29/3 वाके पाखर–2 की भूमि का अपीलान्ट को न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के अनुसार खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया गया है तथा तत्समय ही दिनांक 12.04.02 को उक्त निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट दिनांक 20.05.02 तक उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को भेजने के आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ को जारी किये गये थे परन्तु उक्त आदेशों की पालना नहीं की गई। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की गई जिसका भी निर्णय दिनांक 29.03.1994 को किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखी गई। उक्त निर्णय व डिक्री आज दिन तक कहीं से भी निरस्त नहीं हुई तथा वह निर्णय व डिक्री आज भी यथावत है जिसके बावजूद भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत सायपुर पाखर द्वारा निर्णय व डिक्री के विरूद्ध नामान्तकरण जेर अपील स्वीकार करने में कानूनी गलती की है, इसलिए अधीनस्थ ग्राम पंचायत सायपुर पाखर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

का नामान्तकरण आदेश जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सायपुर पाखर को अपीलांट के द्वारा दिनांक 24.12.2021 को एक प्रार्थना पत्र मय समस्त निर्णय के प्रस्तुत किया था जिसकी प्राप्ति रसीद अपीलान्ट ने सरपंच ग्राम पंचायत सायपुर पाखर से प्राप्त कर ली। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ निर्णय एवं डिक्री इत्यादि दस्तावेजात की प्रतिलिपि संलग्न होने के बावजूद भी उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध ग्राम पंचायत सायपुर पाखर द्वारा उक्त नामान्तकरण को स्वीकार करने के आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बाबत नामान्तकरण स्वीकार करने के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सायपुर पाखर के समक्ष दिनांक 24.12.2012 को अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय व पटवारी हल्का की जानकारी में यह तथ्य भली भांति आ चुका था कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट घूड्या पीडित पक्षकार है तथा अपीलांट घूडया के पक्ष में डिक्री एवं निर्णय न्यायालय द्वारा पारित किये गये है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं अपीलान्ट को कोई नोटिस उक्त नामान्तकरण के संबंध में जारी नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट की पीठ पीछे से गुपचुप तरीके से नामान्तकरण आदेश जेर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी त्रुटि की है, इसलिए नामान्तकरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नामान्तकरण में दर्ज भूमि खसरा सं. 29/3 जो कि खसरा सं. 29 का भाग है, को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2002 से उक्त भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार अपीलान्ट घोषित कर दिया गया था। तत्पश्चात उक्त भूमि से बृजमोहन का कोई लेना देना व सरोकार नहीं रह गया था। उपरोक्त वर्णित भूमि का डिक्री की पालना में नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में भरा जाकर स्वीकार किया जाना आवश्यक था परन्तु इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया एवम् भूमि का खातेदार बृजमोहन को ही मानते हुए बृजमोहन की विरासत का नामान्तकरण गलत तरीके से रेस्पो. सं. 1 लगायत 7 के नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया। आदेश जेर अपील स्वीकार करने में कानूनी गलती की है, इसलिए नामान्तकरण जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की पूर्व में किसी प्रकार से कतई कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 01.09.2022 को सायंकाल मौके पर जुमले रेस्पोंडेन्ट आ गये व ऐलानिया कहने लगे कि यह भूमि हमने जयकिशन वगै. को विक्रय कर दी है तथा नामान्तकरण भी खुलवा दिया है, इसलिए अब अपीलान्ट को उक्त भूमि व रिहायश बोरिंग आदि से बेदखल करके रहेगे जिस पर अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय जाकर जांच कर दिनांक 02.09.2022 को प्रार्थना पत्र नकल प्रस्तुत किया एवं दिनांक 06.09.2022 को उक्त नामान्तकरण आदेश की नकल प्राप्त हुई जिससे सर्वप्रथम जानकारी से नकल प्राप्ति से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। हालांकि उपरोक्त प्रकार के नामान्तकरण आदेश जो कि न्यायालय की डिक्री के विपरीत भरे जाकर स्वीकार किये गये है, कानूनन शून्य नामान्तकरण है जिनके लिए किसी भी प्रकार की कोई कालावधि नहीं है, फिर भी रफाये हुज्जत दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

अपीलान्ट की अपील उपरोक्त कारणों एवं परिस्थितियों से अन्दर मियाद शुमार फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत सायपुर पाखर का नामान्तकरण संख्या 1294 आदेश दिनांक 28.01.2022 ग्राम पाखर–2 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 01 लगायत 07 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये किन्तु काफी अवसर दिये जाने के बाद भी इनके द्वारा जवाब अपील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिये इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर इनके जबाव का अवसर बंद किया। अप्रार्थी सं. 8 एवं 9 की ओर से भी न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिये इनके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर इनके जबाव का अवसर बंद किया गया। पत्रावली में अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमे अपील के तथ्यों को दोहराया और निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1294 आदेश दिनांक 28.01.2022 ग्राम पाखर–2 को निरस्त फरमाया जावे और अधीनस्थ ग्राम पंचायत को निर्देश दिये जावें कि न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के अनुसार पालना कर नामान्तरण खोला जावे।

पत्रावली का तथा उपलब्ध दस्तावेजों यथा– न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रकरण 3/13 उनवान घूड़ा बनाम सरवन में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2002, ग्राम पंचायत सायपुर पाखर के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 1294 आदेश दिनांक 28.01.2022 का अवलोकन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रकरण 3/13 उनवान घूड़ा बनाम सरवन में दिनांक 20.03.2002 को निर्णय पारित कर घूडा पुत्र रामसहाय को ग्राम पाखर में स्थित आराजी खसरा सं. 28 रकबा 1.09 बीघा, 29 रकबा 1.04 बीधा तरफ उत्तर, कुल रकबा 2.13 बीघा का खातेदार घोषित किया गया था व आदेश जारी किया था कि इसी प्रकार अलग–अलग खाताबन्दी कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। ग्राम पंचायत सायपुर पाखर के द्वारा दिनांक 28.01.2022 को नामान्तरकरण सं. 1294 बाबत खसरा सं. 29/3 तथा 35 के खातेदार बृजमोहन पुत्र श्रवण की विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर वारिसान अन्तम, आकाश, कमला, कविता, जितेन्द्र, सरिता, हेमलता की प्रविष्टियाँ जमाबंदी दर्ज की गई। स्पष्ट है कि खसरा सं. 29 ग्राम पाखर के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 20.03.2002 की पालना नहीं की गई है तथा घूडा पुत्र रामसहाय की जमाबन्दी में खसरा सं. 29 के सम्बन्ध में प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई है। आदेश दिनांक 20.03.2002 की पालना नहीं हो पाने से खसरा सं. 29 ग्राम पाखर के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सायपुर पाखर के द्वारा दिनांक 28.01.2022 को नामान्तरकरण सं. 1294 तस्दीक किये जाने की कार्यवाही उचित नहीं है। इसलिए ग्राम पंचायत सायपुर पाखर के द्वारा दिनांक 28.01.2022 को तस्दीक किया गया नामान्तरकरण सं. 1294, को खसरा सं. 29/3 की हद तक निरस्त किया जाना यह न्यायालय उचित व न्यायसंगत समझता है।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

आदेश

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सायपुर पाखर द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 1294 आदेश दिनांक 28.01.2022 को खसरा सं. 29/3 ग्राम पाखर की हद तक ही निरस्त किया जाता है और तहसीलदार मण्डावर को आदेश दिया जाता है कि उक्त नामान्तरकरण सं. 1294 में खसरा सं. 29/3 ग्राम पाखर से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। नामान्तरकरण संख्या 1294 आदेश दिनांक 28.01.2022 के द्वारा शेष खसरा सं. 35, 37, 40, 36 ग्राम पाखर के सम्बन्ध में तस्दीक की कार्यवाही इस आदेश से अप्रभावित रहेगी। तहसीलदार मण्डावर आदेश की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 25.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)